राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 158 सितम्बर 2012 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

वे "मोक्ष" की खोज में काशी, मथुरा और वृंदावन आती हैं यह आशा करते हुए कि उन्हें आध्यात्मिक शान्ति और शारीरिक सुरक्षा मिलेगी। लेकिन जब वे इन तीर्थ स्थानों पर पहुँचती हैं तब उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके भाग्य में कुछ और ही बदा है।

इनमें से अधिकांश को विधवा होने पर इन तीर्थ स्थानों पर बस जाने को कहा जाता है और उन्हें नियमित रूप से वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया जाता है पर कुछ समय बाद उन्हें धन मिलना रुक जाता है और फिर उनके रिश्तेदारों की नजर में उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है। वित्तीय, सामाजिक अथवा भावनात्मक समर्थन से वंचित, अपने पतियों की मृत्यु के बाद पतियों के परिवारों द्वारा परित्यक्त इन्हें अब स्वयं की देखभाल करनी पड़ती है जिसके कारण उन्हें निर्धनता, उपेक्षा और अपमान में जीवन बिताना पड़ता है।

इन अधिकांश महिलाओं को पेंशन नहीं मिलती है और इनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। वे भजन गाकर मिलने वाली आमदनी में गुजारा करती हैं, जबकि इनमें से अधिकांश मंदिरों, आश्रमों और भजन घरों में दैनिक कार्य करती हैं, उनमें से कुछ सड़कों, मंदिरों के बाहर और बाजारों में भिक्षा मांगती हैं। इन विधवाओं के लिए मकान सुविधाओं का निर्माण करने की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि इनमें से अनेक कामचलाऊ टेंटों, सीढ़ियों पर अथवा खराब स्थिति में खुले में बिना उचित शौचालयों, पानी, बिजली और स्वास्थ्य देखरेख के रातें गुजारती हैं। जिला विधिक प्रकोष्ठ प्राधिकरण द्वारा दायर एक रिपोर्ट ने राष्ट्र को चौंका दिया जिसमें कहा गया कि एक विधवा की मृत्यु के पश्चात कोई भी उसका दाह संस्कार करने को तैयार नहीं था और एक जमादार को उसका मृत शरीर ले जाने, टुकड़ों में काटने, उसे एक बोरी में ठूँसने और फिर नदी में डालने के लिए 200 रुपये देने पड़े। माना गुजारे के लिए भिक्षा मांगने का अपमान पर्याप्त नहीं है, सो इन अभागी महिलाओं के लिए मरने के बाद भी कोई मुक्ति नहीं है।

चर्चा में

तीर्थस्थानों की विधवाएं

अध्यक्षा ममता शर्मा (बीच में) और सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर (बाएं) विधवाओं से बात करते हुए।

इस संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्री ममता शर्मा और सदस्या एडवोकेट निर्माला सामंत प्रभावलकर विधवाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए हाल ही में वृंदावन गई। उन्होंने स्वास्थ्य देखरेख, स्वच्छता, सुरक्षित पेय जल, भोजन और सफाई से संबंधित उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए संबंधित राज्य प्राधिकारियों के साथ बैठकें की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उच्चतम न्यायालय को दिए अपने हलफनामें में यह अनुरोध भी किया कि जन सुविधाएं देने, गंदे पानी के निकास और विशेषकर विधवाओं की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वृंदावन का सम्पूर्ण विकास करने के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने हेतु राज्य सरकार की एक एजेंसी स्थापित की जाए।

तथापि, भोजन, कपड़े अथवा आश्रय के अलावा, अथवा धन का प्रबंध करने, आश्रम बनाने, रसोई घरों को धन देने से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें गरिमामय जीवन देना और परिवारों और समुदायों में उन्हें उनका उचित स्थान दिलाना है। वास्तव में जो समाज अपने कमजोर सदस्यों की देखभाल नहीं कर सकता, उसे सभ्य नहीं कहा जा सकता है।

यौनाचार पीड़ितों की सहायता करने के लिए महिला वकील

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हरियाणा के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिला वकीलों की एक टीम गठित की है जो उस समय पुलिस स्टेशनों पर उपस्थित रहेंगीं जब यौनाचार की पीड़ित अपना बयान दर्ज करा रही हों। थानेदार (एस.एच.ओ.) अथवा संबंधित पुलिस अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि जब भी कोई महिला अपना बयान दर्ज कराती है तो वह उस समय नियुक्त वकील को बुलाए। गुड़गाँव जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही लगभग 35 महिला वकीलों को विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर तैनात किया जाएगा और वे सातों दिन चौबीस घंटे उपलब्ध होंगी।

क्या आप जानते हैं?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार दिल्ली से प्रत्येक तीसरे दिन कम से कम एक दहेज से मृत्यु की रिपोर्ट आती है। 2011 में दहेज की मांग के कारण 142 महिलाओं की मौतें हुई। दिल्ली के आंकड़े अन्य चार महानगरों (बेंगलुरू, मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद) के कुल आंकड़ों, जो 115 बनते हैं, से अधिक है।

पैदायशी पारिवारिक हिंसा पर राष्ट्रीय परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने रोहतक में एम.डी. विश्वविद्यालय में "भारत में महिलाओं के विरुद्ध पैदायशी पारिवारिक हिंसा - शारीरिक अखंडता और स्व-निर्णय का अधिकार" पर परामर्श सत्र का आयोजन किया।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि यद्यपि सभी धर्म महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनके विरुद्ध हिंसा की मनाही है फिर भी देश के विभिन्न भागों में महिलाओ के विरुद्ध सभी तरह की हिंसा की जाती है। उन्होंने कहा कि आयोग का विचार आपराधिक न्याय व्यवस्था के कार्मिकों के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने का है।

श्रोताओं को संबोधित करते हुए डॉ. चारू वलीखन्ना ने खेद प्रकट किया कि भारत के संविधान में सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार की गारंटी देने के बावजूद वास्तविक स्तर पर महिलाओं को न्याय अभी नहीं मिल पाया है; महिलाओं को मूल मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जाता है और उनकी पैदायशी परिवारों द्वारा अक्सर उनके साथ जोर-जबरदस्ती, भेदभाव और हिंसा की जाती है।

सदस्या हेमलता खेरिया ने महिलाओं को अधीनस्थ रूप में देखने की पारिवारिक मुखिया के दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं और झूठी 'इज्जत' के नाम पर उनको जान से मार दिया जाता है। इस तकनीकी सत्र में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या 'इज्जत' के नाम पर हत्या के लिए एक पृथक विधेयक समस्या के उन्मूलन का समाधान होगा अथवा भारतीय दंड संहिता में विशेष प्रावधान अथवा अध्याय ऐसे अपराधों को रोक सकती है अथवा क्या सामाजिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक सांस्कृतिक क्रांति लाना वक्त की मांग है। इसमें प्रतिभागियों और नामिका सदस्यों ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित विधेयक, जिसे ऐसे अपराधों से निबटने के लिए लाया गया है, इसके प्रावधानों और नाम की उपयुक्तता पर भी चर्चा की।

अध्यक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए दीप को प्रज्वलित करती हुई। सदस्या हेमलता खेरिया और चारू वलीखन्ना देख रही हैं

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर विचार-विमर्श

अध्यक्षा श्रोताओं को संबोधित करती हुई

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव; महिलाओं के मुद्दे और चुनौतियाँ" पर प्रायोजित एक दो-दिवसीय कार्यशाला कॉलेज ऑफ होम साइंस, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, (एम.पी.यू.ए.टी.) उदयपुर, राजस्थान में आयोजित हुई। इस कार्यशाला में उदयपुर और देश के अन्य भागों के विभिन्न संस्थानों से 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत की जानी चाहिए जबकि कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि जैसे मुद्दों का समाधान राष्ट्रीय महिला आयोग, पुलिस, सिविल सोसाइटी और विशेषकर महिलाओं के संयुक्त प्रयासों से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुजरात राज्य में एक हेल्पलाईन आरम्भ की है और शीघ्र ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी।

दूसरे दिन, महिला संबंधित विभिन्न मुद्दों और आगे आने वाली चुनौतियों से निबटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई।

अध्यक्षा के दौरे

- अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा सदस्या शमीना शफीक के साथ एक लड़की विद्यार्थी द्वारा की गई कथित आत्महत्या के बारे में जांच करने के लिए जालंधर गई। यह लड़की पुलिस कर्मियों और फोटो संवाददाताओं द्वारा अपमानित किए जाने के बाद रेलगाड़ी के आगे कूद गई थी। वह उस जगह भी गई जहां लड़की का मृत शरीर पाया गया था और बाद में वह उसके घर में उसके माता-पिता से भी मिलीं।
- अध्यक्षा ने राजस्थान के कोटा के एक महिला थाने का दौरा किया। इस थाने में एक सब-इंसपेक्टर, दो हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल हैं जो सभी महिला स्टाफ सदस्य हैं। जनवरी 2012 से विभिन्न अपराधों के 352 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 108 मामले गलत पाए गए और कोर्ट के निदेश के लिए अन्य मामलों में चालान प्रस्तुत किए गए। अधिकांश मामले दहेज प्रताड़ना, वैवाहिक विवाद आदि से संबंधित थे।
- अध्यक्षा ने कोटा जेल का दौरा किया जहां 23 विचाराधीन कैदियों को रखा गया था। अध्यक्षा यह जानकर प्रसन्न हुई कि कैदियों ने जेल अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की। उनको दिया जाने वाला भोजन अच्छी गुणवत्ता का था और उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए एक डॉक्टर, दो कम्पाउंडर हमेशा वहां रहते थे। उन्हें धार्मिक किताबें और उनके मनोरंजन के लिए एक टीवी सेट भी दिया गया था। जब यह पूछा गया था कि क्या उन्हें कानूनी मदद दी जाती है, उप पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया जब कभी किसी विचाराधीन कैदी को कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है तो उसके अनुरोध को सी.जी.एम. के पास भेज दिया जाता है जो फिर उसे संबंधित कोर्ट को निःशुल्क सरकारी वकील उपलब्ध करने के लिए भेज देता है।
- अध्यक्षा सदस्या शमीना शफीक के साथ एंबीयन्स मॉल, गुड़गाँव में लेक्सीकन आर्ट शो के समापन समारोह में उपस्थित हुई जहां लगभग 100 कलाकारों ने अपनी कला और पेंटिंग तकनीकी के बारीक पहलुओं का प्रदर्शन किया।

आजाद मैदान की घटना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने आजाद मैदान में मुम्बई पुलिस के महिला पुलिस अधिकारियों और आम महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, प्रताड़ना और छेड़खानी की कथित घटना को स्वयं संज्ञान में लिया।

अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा और सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर मामले की जांच के लिए मुम्बई गई। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और जांच टीम द्वारा सुझाए गए सिफारिशों वाला एक पत्र उन्हें दिया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे मामले की जांच करेंगे। अन्य के साथ कुछ सिफारिशों में यह दिया गया है कि इस मामले पर द्रुत कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और अपराधियों को कठोर दंड दिया जाए और ड्यूटी पर तैनात घायल महिला पुलिस कर्मियों को पर्याप्त वित्तीय मुआवजा दिया जाए और फील्ड कार्य के दौरान उन्हें शरीर की सुरक्षा के लिए जैकेट दिए जाएं। महिला पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए और उन्हें रिलीवर उपलब्ध किया जाए।

अध्यक्षा और सदस्या प्रभावलकर सिफारिशों वाला पत्र मुख्यमंत्री को सौंपते हुए

सदस्यों के दौरे

● बिहार राज्य की प्रभारी सदस्या डॉ. चारू वलीखन्ना ने राज्य में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए बिहार का दौरा किया। पटना में उन्होंने छेड़खानी और आयोग के पास लंबित यौन दुराचारों के मामलों के पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप के माध्यम से द्रुत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। पीड़िता ने उन्हें बताया कि आरोपी उनके अश्लील फोटो बनाकर उन्हें एम. एम.एस. और सी.डी./डी.वी.डी. के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं और अनेक बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सदस्या ने पुलिस महानिदेशक श्री अभयनंद से मुलाकात की जिन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा और की गई कार्यवाही कर रिपोर्ट दी। बाद में, सदस्या ने पटना के सुलतानगंज में महिला पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया।

सदस्या चारू वलीखन्ना पीड़ितों के साथ

डॉ. वलीखन्ना द्वारका में आयोजित "प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, भ्रूण हत्या, बाल हत्या, पी.सी. और पी.एन.डी.टी. एक्ट, 1994, और गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम" पर लगाए गए विधिक जागरुकता शिविर में मुख्य अतिथि थीं। इसका आयोजन सोशल डेवलपमेंट वेलफेयर सोसायटी ने किया था। गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार विधिक जागरुकता मैनुअल को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी महिलाओं को भार समझा जाता है और इसके कारण बाल कन्या का चयनित गर्भपात कराने के लिए लिंग निर्धारण परीक्षण किया जा रहा है।

सदस्या एक गैर-सरकारी संगठन सखी केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर लखनऊ में आयोजित "महिलाओं के भूमि अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला" में मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने कहा कि भारत में भूमि, विशेषकर महिलाओं के लिए, एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वे अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि कृषि श्रमिक में महिलाओं को बहुत अधिक भागीदारी है पर उनके पास अपनी केवल जरा-सी जमीन है, यद्यपि भूमि पर महिलाओं का अधिकार सामाजिक दर्जा, आर्थिक कल्याण और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण तत्व है।

● सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर "गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971" पर महाराष्ट्र राज्य में एक परामर्श सत्र में उपस्थित हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग यह जांच कर रही है कि क्या हर्ष और निकिता मेहता के मामले को देखते हुए जिसमें दंपत्ती ने गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति की मांग की है क्योंकि रिपोर्ट दिखाती है कि भ्रूण को जन्मजात दिल की बीमारी की समस्या है, वर्तमान प्रावधानों में कोई

संशोधन करने की आवश्यकता है। गर्भ की समाप्ति की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि 24 सप्ताह के गर्भपात का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इस संबंध में श्रीमती प्रभावलकर ने प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और मेडिकल साइंस में हुई प्रगति के कारण एन.टी.पी. एक्ट के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑबस्टीरिक एंड गॉयनेकोलोजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ परामर्श किया। उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्रीमती प्रभावलकर एक घटना की जांच करने के लिए मुम्बई में चारकोप पुलिस स्टेशन गई जहां से यह पता चला कि चारकोप पुलिस स्टेशन ने किसी अमृता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 372 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है जो वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से नाबालिग बच्चों को बेचने के बारे में है। जांच के दौरान यह पता चला कि गरीबी, भूख और पति द्वारा उपेक्षित 22 वर्षीय अमृता को सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया और उसे बच्चा बेचने वाले गिरोह ने अपने जाल में फंसा लिया। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में अमृता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आयोग द्वारा स्वयं की गई जांच से पता चला कि अमृता अपने 45 दिन के लड़के को एक परिवार को सौंपने के लिए राजी थी, ऐसा वह धन की खातिर नहीं अपितु उस बच्चे की भलाई के लिए कर रही थी। इस समय माँ बायकुला जेल में है और उसके तीन बच्चे महाराष्ट्र के मनखुर्द में बाल गृह में रह रहे हैं। आयोग ने मां का पुनर्वास करने का निर्णय किया और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्चों को उनकी मां से मिलाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने नवजीवन सुधार गृह के बारे में एक घटना को स्वतः संज्ञान में लिया है जहां से 17 महिलाओं का एक ग्रुप भाग गया था और उसके विरुद्ध आई.टी.पी.ए. के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ था। सदस्या प्रभावलकर ने मामले की जांच करने के लिए सुधार गृह का दौरा किया। उपरोक्त रिपोर्ट पर आधारित सिफारिशों को संबंधित मंत्रालय को भेजा जाएगा।

- सदस्या हेमलता खेरिया महिला संबंधित मुद्दों और आयोग द्वारा देखे जा रहे मामलों पर चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ में राज्य आयोग गई।

सदस्या हेमलता खेरिया और डॉ. चारू वलीखन्ना रोहतक जिला, हरियाणा में ग्राम गढ़ी सम्पला गई और इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं और विद्यार्थियों के साथ परस्पर संवाद सत्र में भाग लिया। उन्होंने जीवन साथी चुनने में उनके अधिकार के बारे में विचार जानना चाहा। पुरानी पीढ़ी ने कहा कि अंतर्जातीय विवाह स्वीकार्य है परन्तु उसी गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने दलितों से अंतर्जातीय विवाह का विरोध किया चाहे लड़का शिक्षित है और अच्छा कमा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में लड़की के विरुद्ध हिंसा हो सकती है। तथापि नई पीढ़ी के मां-बाप परिवर्तनों को स्वीकार्य करने में अधिक तत्पर थे और उन्होंने जाति विचार को अधिक महत्व नहीं दिया।

सदस्या हेमलता खेरिया विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक संवाद करती हुई

सदस्या हेमलता खेरिया ने गवर्नमेंट कॉलेज, रोहतक में भारत में पारिवारिक हिंसा पर एक पारस्परिक संवाद सत्र में भी भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि सांस्कृतिक मूल्य की जड़े हमारे समाज में गहराई तक गई हुई हैं, नई पीढ़ी स्थापित मानदंडों को चुनौती दे रही हैं जबकि उन्हें सामाजिक बहिष्कार के रूप में समाज के क्रोध का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों ने एक ही जाति अथवा गोत्र के होने जैसे विवादित मुद्दों पर विभिन्न सुझाव दिए।

- सदस्या शमीना शफीक ने सेंटर फॉर वुमैन स्टडीज़ द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में "महिला अध्ययन - एक भूमिका" पर आयोजित एक कार्यशाला में व्याख्यान दिया। सदस्या ने संकाय के सदस्यों और शोध विद्वानों को अध्ययन विषय, जो सामाजिक क्रियाशीलता से संबंधित हैं, के रूप में महिला अध्ययन के उद्देश्यों, अवधारणा से अवगत कराने के लिए इस विषय पर बोला।

उप-कुलपति न्यूजलेटर जारी करते हुए। सदस्या शमीना शफीक (दाहिने) देख रही हैं

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।